न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **118/2022**

GCMS NO. 2022/391

1. विनोद पुत्र रामकरण
2. बिमला पुत्री रामकरण
3. सुनिता पुत्री रामकरण
4. सुमित्रा पुत्री रामकरण
5. मनीषा पुत्री रामकरण

समस्त जाति गूर्जर निवासी राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

............वादीगण

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र गुगन
2. विक्रम पुत्र ग्यारसीलाल
3. विमला देवी पत्नी ग्यारसीलाल
4. महेन्द्र पुत्र महीपाल
5. मुकेश पुत्र महीपाल
6. मोती पुत्र गुगन
7. घीसाराम पुत्र माडू
8. सुमेर पुत्र माडू
9. ग्यारसी देवी पत्नी माडू
10. सूरजभान पुत्र औंकारमल
11. जगदीश पुत्र औंकारमल
12. सन्तोष पत्नी कैलाश
13. अभय पुत्र कैलाश
14. तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज सिंह — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री शीशराम मेहरड़ा — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8 व 10, 13 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43.58 IST
Reason: SelfAttested

दावा – बाबत उदघोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :—07—10—2022

वादीगण की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता भू०अ०निरीक्षक वृत राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान स्थित खाता संख्या नया 26 में दर्ज खसरा नम्बर 192 रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज पालिया पुत्र नानग की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण पालिया के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज गुगन, सोहन, औंकारमल ने आज से 50 वर्ष पूर्व ही आपस में बांहमी बंटवारा कर अपनी अलग अलग भूमि पर काबिज रहकर काश्त करने लगे तथा उक्त आराजियात् वादीगण के पूर्वज गुगन के हिस्से में आई और ग्राम राजोता में स्थित हाल खसरा नम्बर 67, 84, 85 प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 13 के पूर्वज सोहन व औंकारमल के हिस्से में आई तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के पिता स्व. महीपाल व प्रतिवादी संख्या 6 ग्राम तातीजा में मकान बनाकर आबाद हो गए और वहां की भूमि उनके हिस्से में आई तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में ग्राम राजोता में स्थित भूमि खसरा नम्बर 65 व 66 हिस्से में आई। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी बांहमी व पारिवारिक बंटवारें के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजियात बांहमी बंटवारे में वादीगण के हिस्से में आई है और वादीगण मकान बनाकर उक्त भूमि पर निवास कर रहे है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर पहलें वादीगण के स्व. पिता रामकरण काबिज रहकर काश्त करता था तथा अब वादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है। इसलिए वादीगण उद्घोषणा के अधिकारी है। वादीगण को गत सप्ताह अपनी भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल लेने पर पता लगा कि उक्त आराजियात् उनके नाम दर्ज नहीं है तो वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि श्रीमान् एसडीएम साहब के यहां दावा करों फिर अपने नाम डिक्री जारी कराओं। इसलिए वादीगण को यह दावा घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 से रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 ने धमकी दी कि हम तो तुम्हारे हिस्से की भूमि को जबरन लठ के बल पर काश्त करेगें। तुम्हे कोई हिस्सा नहीं देगें तथा किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर खुर्द बुर्द करेगें तुम्हारे याद हो सो करों। इसलिए वादीगण को यह दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि काश्त करने में बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 द्वारा किसी प्रकार का विक्रय पत्र तस्दीक करवाया जाता है तो वह वादीगण के हिस्से तक बेअसर व शून्य है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देते है व वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते है तो वादीगण अपने हक व अधिकारों से व अपनी भूमि से वंचित हो जायेगें जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूंल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हुआ है कि वह न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए। इसलिए वादीगण को यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 प्रतिवादीगण को अनुतोष चाहिए इसलिए पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 अधिकारी है व राजस्व रिकार्ड के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। इसलिए पक्षकार बनाया गया है। दावा का आधार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 द्वारा वाद वर्णित भूमि में वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने की धमकी देने तथा उक्त आराजीयात् उनके नाम दर्ज नहीं होने से पैदा हुआ है। इसलिए वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

को यह दावा घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद पेश है। विवादित भूमि वाके ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता भू0अ0निरीक्षक वृत राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान्जी की अधिकार सीमा क्षेत्र में स्थित होने से यह वाद सुनवाई का न्यायालय श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

(1) वाके ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता भू0अ0निरीक्षक राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खाता संख्या नया 26 में दर्ज खसरा नम्बर 192 रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि में हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(2) वाके ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता भू0अ0निरीक्षक राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खाता संख्या नया 26 में दर्ज खसरा नम्बर 192 रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि में स्व. पालिया का नाम हजफ कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

(3) प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता भू0अ0निरीक्षक राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खाता संख्या नया 26 में दर्ज खसरा नम्बर 192 रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें या दखलंदाजी नहीं करे तथा ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाए तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7, 9, 14 बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7, 9, 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8 व 10 लगायत 13 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का इकबाली जवाब दावा पेश किया कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे व दावा में वर्णित वाके ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता भू0अ0निरीक्षक राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खाता संख्या नया 26 में दर्ज खसरा नम्बर 192 रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि में हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे तथा उक्त भूमि में स्व. पालिया का नाम हजफ कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे तो इसके लिए प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8 व 10 लगायत 13 को किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति नहीं है तथा वे इसके लिए सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:13:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 खाता संख्या 26, 65, 66, 67, 85, 84 ग्राम राजोता, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 1822 के हाल खसरा नं2 ग्राम राजोता, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 624 मीन, 625 मीन, 626 मीन के हाल खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.36 हेक्टेयर ग्राम कस्बा खेतड़ी, नकल मिसल हैकियत संवत 2043 खाता संख्या 55 कस्बा खेतड़ी, नकल जमावन्दी संवत 2027–2030 खाता संख्या 129 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

खेतड़ी, फोटो प्रति हक समर्पण पत्र दिनांक 16.07.2010 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में जगदीश प्रसाद पुत्र जीताराम का शपथ पत्र पी.डब्लू–1, विनोद पुत्र रामकरण का शपथ पत्र पी.डब्लू–2 व रामनिवास पुत्र हरदयाल सिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू–3 पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि 50 वर्ष पूर्व ही आपस में किये गये बंटवारा के अनुसार वादीगण के हिस्से में आई है। वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8 व 10 लगायत 13 को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि इनके द्वारा वादीगण के पक्ष इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के अन्त में कथन किया वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र के अभिवचनों व इकबाली जवाब दावा में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8 व 10 लगायत 13 के इकबाली जवाब दावा के आधार पर वादीगण का वाद उनके हक में स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

वाके ग्राम राजोता पटवार हल्का राजोता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 192 रकबा 0.36 हेक्टेयर के खातेदार पालिया पुत्र नानग जाति गूर्जर साकिन देह खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर उक्त सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को बराबर–बराबर संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7, 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0)खेतड़ी के नाम तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी